झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — त्रयोदश(मॉनसून)सत्र

संख्या-02 — मंगलवार, दिनांक-17 जुलाई, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.44 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल पुकारा गया, परन्तु माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा उठाते हुए इसे सरकार द्वारा वापस लिये जाने हेतु आग्रह किया जाने लगा तथा आसन से इस सम्बन्ध में नियमन दिये जाने की उन्होंने माँग की। इसके उपरांत आसन द्वारा अपनी भावना व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि सदन में निश्चित रूप से गम्भीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जबर्दस्ती किसी विषय को सदन में लाया जाना उचित नहीं है। यदि विषय गम्भीर हो, तो उसके लिए समय का निर्धारण कर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सोच सकारात्मक होनी चाहिए।

माननीय ससंदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा भी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा किये जाने का समर्थन किया गया, परन्तु उठाया गया विषय टी.ए.सी. की बैठक में विपक्ष की सहमति से ही सदन में लाया गया और इसे पारित कराया गया, अतएव अब इसपर घड़ियाली आँसू बहाये जाने को अनुचित बताया।

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं अन्य विपक्षी माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

इस क्रम में आसन द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर को निदेश दिया गया कि जो माननीय सदस्य सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं, उन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय।

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, श्रीमती सीमा देवी को ससम्मान सदन में लाया गया।)

परन्तु सदन में अव्यवस्था का महौल कायम रहा जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.21 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ नारेबाजी करने लगे जिसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के भी कतिपय माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये। इस बीच पक्ष के कई माननीय सदस्य अपने हाथों में अखबार की प्रतियाँ लेकर कुछ-कुछ कह रहे थे जो भारी शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। इसी क्रम में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव ने अपने बरकट्ठा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मनईया में बसंत सिंह तथा प्यारी चन्द को 18 हाथियों के झुंड द्वारा कुचल दिये जाने का मामला उठाया गया तथा मृतक के परिजनों को नौकरी एवं मुआवजा दिये जाने की माँग की।

1.**सभा पटल पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-**

i- श्री योगेश्वर महतो, माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत समिति का दशम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

ii- श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, माननीय सभापति, सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत समिति का 11वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

iii- श्री भानू प्रताप शाही, माननीय सभापति, पुस्तकालय विकास, युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत समिति का सप्तम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया एवं

iv- श्रीमती मेनका सरदार, माननीया सभापति, याचिका समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत समिति का 18वाँ, 19वाँ एवं 20वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

इस क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्य पुनः नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये जिसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के भी कतिपय माननीय सदस्य वेल में आ गये जिसपर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी और उन्होंने खड़े होकर सभी माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया तत्पश्चात् सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

1. आसन से नियमनः-

सदन में बार-बार अव्यवस्था का महौल कायम होने से आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह दुःखद स्थिति है कि सदन की गरिमा तार-तार हो रही है, इसपर हमें मिलकर विचार करना चाहिए क्योंकि इस स्थिति से राज्य में गलत संदेश जा रहा है। माननीय सदस्य शालीनता से अपनी बातों को रखें। हम जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुनकर यहाँ तक भेजा है, लेकिन तारतम्य के अभाव में लगातार सदन का बाधित होना चिन्ता का विषय है। अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंकित नियमों का अक्षरशः पालन हो, यही सभी माननीय सदस्यों से आसन का आग्रह है।

2. वित्तीय कार्यः-

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष-2018-19 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी सभा पटल पर उपस्थापित की गयी जिसपर कटौती के प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक-17 जुलाई, 2018 को 4.00 बजे अप० तक सभा सचिव को दिये जाने की सूचना आसन से दी गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-18, जुलाई, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 17, जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।